निर्णय व इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या : 181/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

मुरलीधर जाट पुत्र मूंगाराम जाति जाट निवासी ग्राम सीतारामपुरा, तहसील चौमू जिला जयपुर ग्रामीण।

प्रार्थी

बनाम

1. प्रियंका वडगूजर आर.ए.एस. पीठासीन अधिकारी, सहायक कलक्टर चौमू जिला जयपुर ग्रामीण।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौमू जिला जयपुर ग्रामीण ।
3. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार गोविन्दगढ, तहसील चौमू जिला जयपुर ग्रामीण ।

अप्रार्थीगण

जिला कलक्टर जिला जयपुर (ग्रामीण)

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर चौमू जिला जयपुर ग्रामीण के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 56/2024 व प्रार्थना पत्र संख्या 44/2024 व उनवानी मुरलीधर बनाम राजस्थान सरकार व अन्य को अन्यत्र सक्ष्म न्यायालय में स्थानान्तरित करने बाबत।

उपस्थित –

1. श्री सुनील कुमार यादव अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. विभागीय पैरोकार अप्रार्थीगण की ओर से ।

निर्णय दिनांक 16.12.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर चौमू जिला जयपुर ग्रामीण के समक्ष प्रकरण संख्या 56/2024 व प्रार्थना पत्र संख्या 44/2024 व उनवानी मुरलीधर बनाम राजस्थान सरकार व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर चौमू जिला जयपुर ग्रामीण से विन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से विभागीय पैरोकार उपस्थित है।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 12.08.2024 को पेश किया गया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में आराजी खसरा नम्बर 126, 128 व 129 के बाबत अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया । उक्त प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 4 सी पी सी का दिनांक 29.08.2024 को पेश कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थी संख्या 2 को खसरा नम्बर 126, 128 व 129 की हद तक रास्ता निकालने हेतु शिथिलता प्रदान की जावे। उक्त प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त प्रकरण में आवश्यक जल्दबाजी करते हुये छोटी छोटी तारीख पेशियां दी जा रही है तथा प्रकरण अभी वास्ते तलबी ही नियत है। उक्त प्रकरण में सम्पूर्ण पक्षकारान की तलब भी नहीं हुई है। अप्रार्थी संख्या एक कुछ राजनैतिक लोगों व खातेदारों के प्रभाव में होने से उक्त प्रकरण में आवश्यक रूची लेकर अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निर्णित कर प्रार्थी के पक्ष में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज करने पर आमादा है तथा प्रार्थी की भूमि को खुर्द बर्द कर रास्ता निकालने पर आमादा है जबकि उक्त भूमि में कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी द्वारा बहस व जबाब हेतु समय चाहने पर पीठासीन अधिकारी ने धमकी दी कि प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 4 सी पी सी का निस्तारण जल्दी से जल्दी करूंगी । उक्त प्रकरण में उपर से दबाव है। इस प्रकार प्रार्थी को उक्त न्यायालय से न्याय प्रप्ति की कोई उम्मीद नहीं रही है। ऐसी स्थिति में उक्त मामले को अन्यत्र सक्षम न्यायालय न्यायालय में निस्तारण हेतु ट्रान्सफर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थीगण की ओर से विभागीय पैरोकार ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय से एक पक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है जिसको लम्बित रखने की नीयत से विचाराधीन प्रकरण का निस्तारण नहीं होने देने की गरज से मिथ्या कथनों के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्राथी ने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जो पक्षकार है, उनको भी पक्षकार नहीं बनाया है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमावे। ।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्ति में शंका जाहिर कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थी के पक्ष में एक पक्षीय स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। इसलिए प्रार्थी के कथन की पुष्टि नहीं होती है, बल्कि प्रार्थी द्वारा प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मंशा जाहिर होती है जो न्याय के नैसर्गिक

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

सिद्धान्तों के विपरीत है। प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अंकित पक्षकारों को मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में पक्षकार भी नहीं बनाया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय सहायक कलक्टर चौमू को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक **16.12.2024** को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner